

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR(57)/2016- 1580

Dated: 28/7/17

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 02-98-58 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of the Director, Hydro More Power Pvt. Ltd. T.R. Verma Building, Sec-2, New Shimla-171009 for the construction of Tranh Charoli SHEP (2 MW) at Kupvi District Shimla (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Chopal Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 02-98-58 hecter of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to XXIX
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha is enclosed as annexure 1 to
- (d) the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA



Encl: As above


(Rohan Chand Thakur)
District Collector, Shimla
Shimla District (H.P.)
Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

2

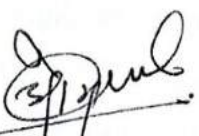
①

PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 07-07-2017 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI Rohan Chand Thakur, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

At the very outset the Addl. District Magistrate (L.&O) welcomed all the members of the committee and a total cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussuion following decision were taken.

All the cases which were placed before the committee have been approved to be processed under FCA.

The meeting ended with vote of thanks.

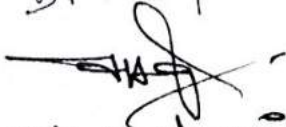

(Om P. Chandel)
ACF, Shimla Ft. Div.

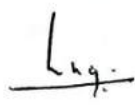

(M.S. Chandel)
DFO, Theog

(Anita Kunta)
EP member



(A.K. Verma)
DFO Chopal


(H.S. Nagi)
ACF Rampur-cum-
D.F.O. Kotgarh


(Hemis Negi)


Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.

3

(2)

OFFICE OF THE SDO (C) CHOPAL TEHSIL CHOPAL DISTRICT SHIMLA (HP)

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee constituted under.

Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (recognition of Right) Act-2006

A meeting of the Sub Divisional Forest Right Committee of Chopal Sub Division, constituted under FRA-2006 was held under the chairmanship of Sh. Anil Chauhan SDO(C) Chopal on 20-05-2017 at SDM Office Chopal. The applications claiming rights in revenue villages Banah, Chdoli, Thanh ,Dimi and Hidah. The Director, Hydro More Power PVT. LTD TR Verma Building ,Sector -2 ,New Shimla forwarded by user agency, duly processed and recommended by Forest right committees & Gram Sabha's of Banah, Chdoli, Thanh ,Dimi and Hidah were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Forest Right Committee.

1. No Individual or community claims have been received by village level forest right committee's of Banah, Chdoli, Thanh ,Dimi and Hidah hence FRA certificate (NOC) can be issued to user agency.
2. The Director, Hydro More Power PVT. LTD TR Verma Building ,Sector -2 ,New Shimla have applied for FRA certificate (NOC) for construction Hydro More Power Project at Thanh, Chodli SHEP-2 MW Thesil Kupvi Distt. Shimla and proposes for diversion of 02-98-58 hectare of land under FCA-1980. It is recommended that FRA certificate may be issued to Director, Hydro More Power PVT. LTD TR Verma Building ,Sector -2 ,New Shimla for construction of said project with following description of proposed land.

Sr. No.	Revenue Village	Gram Panchayat	Land	Remarks.
1	Banah	Kanda-Banah	00-12-90 Hect.	Description of land and List of Khsra No,s are attached herewith.
2	Chdoli	Chdoli	00-48-73 Hect.	
3	Tranh	Chdoli	01-60-10 Hect.	
4	Dimi	Chodli	00-18-79 Hect	
5	Hidah	Judu-Shilahl	00-58-06 Hect	
Total			02-98-58 Hect.	

Place:-Chopal

Date:- 20-05-2017

SDO(Civil-cum-Chairman

Chairperson Sub-Division Level

Committee, Sub-Division Chopal

2

वन अधिकार समिति

आज दिनांक 5-10-2015

को वन अधिकार समिति बनाई गई

ग्राम पंचायत कान्हा बान्हा की बैठक अध्यक्ष श्री जागीराम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, इसके सभी सदस्य निम्नलिखित हैं:-

1. श्री जागीराम अध्यक्ष
2. श्री रमेश चन्द सचिव
3. श्री शारदा सिंह सदस्य
4. श्री शारदा सिंह सदस्य
5. श्री दिलमा सिंह सदस्य
6. श्री शारदा सिंह सदस्य
7. श्री शारदा सिंह सदस्य
8. श्री शारदा सिंह सदस्य
9. श्री सगीता सदस्य
20. श्री शारदा सिंह सदस्य

उपरोक्त सभी सदस्य ने यह सुनिश्चित किया कि निम्नलिखित कार्य हेतु

विद्युत परियोजना का निर्माण देखा जा कि किसी प्रकार के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा परम्परागत वन निवासियों का कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं पाया गया है।

अतः उपरोक्त समिति का उप-मण्डल अधिकारी (ना0) चौपाल, से अनुरोध है कि वह

लवाह-चौपाल लघु विद्युत परियोजना 2 MW F.R.A. Certificate (वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र) जारी करने की कृपा करें।



GRAM PANCHAYAT KANDA-BANAH
SHIMLA H.P.

अध्यक्ष

वन समिति

ग्राम पंचायत

(4)

वन अधिकार समिति बनावहूँ ग्राम पंचायत काण्डा बनाह

नाम	पद	हस्ताक्षर
1. जाती राम पुत्र श्री हीरा सिंह	प्रधान	<i>Shauham</i>
2. रमेश चंद पुत्र श्री विजय	सचिव	<i>[Signature]</i>
3. शेर सिंह पुत्र श्री झाड़ू राम	सदस्य	<i>[Signature]</i>
4. रण सिंह पुत्र श्री खुड़या <i>सहोया</i>	सदस्य	<i>Ram Singh</i>
5. दिलम सिंह पुत्र श्री कुम्बिया	सदस्य	<i>दिलम सिंह</i>
6. शेर सिंह पुत्र श्री जीत सिंह	सदस्य	<i>शेर सिंह</i>
7. उर्मिला देवी धर्मपत्नी श्री प्रकाशचन्द	सदस्या	<i>उर्मिला देवी</i>
8. कल्पना धर्मपत्नी श्री राजेन्द्र सिंह	सदस्या	<i>Kalpana</i>
9. संगीता धर्मपत्नी श्री देवीराम	सदस्या	<i>संगीता देवी</i>
10. रमला देवी धर्मपत्नी श्री दीपराम	सदस्या	<i>Ramla Devi</i>



MAN
PANCHAYAT KANDA-BANAH
LOCK CH. PAL SHIMLA H.P.

[Signature]
SECR

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा कांडा बाना
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 6

दिनांक 28-11-2015

ग्राम सभा कांडा बाना की बैठक आज दिनांक 28-11-2015 को 11 बजे, स्थान ग्राम पंचायत मुख्यालय में श्री/श्रीमति अमा देवी की अध्यक्षता में की गई जिसमें वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत कांडा बाना जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें HMPPL विमान द्वारा लाघु अरविधुत परियोजना के निर्माण के लिए 00-12-90 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0

* पात्र ग्राम वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का ब्यौरा

- 1.
- 2.

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इस उप खण्ड स्तर की रायों की प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0

* पात्र ग्राम वासी का नाम

- 1.
- 2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार कांडा बाना जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान कांडा बाना

दिनांक 28-11-2015

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



PRADHAN

PANCHAYAT KANDA-BANAH
JLOCK CHOPAL SHIMLA H.2

ग्राम सभा २५.१२.१० बनाए-चक
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा वन अधिकार समिति बनाए-चक
विकास खण्ड चोपल जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 5-10-2015

गणपूर्ति 250/470

प्रस्ताव संख्या 1

विषय बनाए-चक लघु विद्युत परियोजना निर्माण विभाग/संस्था को 8.5 डी मीटर पावर ट्रांसमिशन
लाइन का निर्माण हेतु बनाए-चक
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित खसरा नं० 769/1-1693/1 हेक्टेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा बनाए-चक की बैठक आज दिनांक 5-10-15
को बजे स्थान बनाए-चक में
की गई, जिसमें Hydro more Power Project विभाग/संस्था को Teamh-chawal SHP-2 MW
के निर्माण हेतु बनाए-चक जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
00-12-90 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 00-12-90 हेक्टेयर वन भूमि को बनाए-चक लघु विद्युत परियोजना 2 MW निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा बनाए-चक की सहमति दी जाती है।

स्थान बनाए-चक
दिनांक 5-10-2015

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा



GRADHAN

SECY

PANCHAYAT KANDA-BANAH
BLOCK CHOPAL SHIMLA

Detail of Khasara no. of Banah:

S No.	Name of the Component	Mohal	Khasara No.	Area/Land Status of Forest Land	Classification of Land
1.	Intake / Diversion Weir	Banah	769/1	0-07-20	Gair Mumkin Khad
2.	Dumping Site	Banah	1693/1	0-05-70	Charagah Drakthan

Total - 012 - 90

(9)

वन अधिकार समिति तशह

आज दिनांक 2-10-15 को वन अधिकार समिति तशह
ग्राम पंचायत चडौली की बैठक अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार की अध्यक्षता में
सम्पन्न हुई, इसके सभी सदस्य निम्नलिखित हैं:-

1. श्री सुरेश कुमार अध्यक्ष
2. श्री सनीव सचिव
3. श्री लालिग राम सदस्य
4. श्री लालन राम सदस्य
5. श्री इन्द्रा देवी सदस्य
6. श्री गुलाब सिंह सदस्य
7. श्री रेखा देवी सदस्य
8. श्री सदस्य
9. श्री सदस्य
10. श्री सदस्य

उपरोक्त सभी सदस्य ने यह सुनिश्चित किया कि निम्नलिखित कार्य हेतु जोडा लखु जल विद्युत परियोजना पर किसी प्रकार के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा परम्परागत वन निवासियों का कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं पाया गया है।

अतः उपरोक्त समिति का उप-मण्डल अधिकारी (ना0) चौपाल, से अनुरोध है कि वह तशह-चडौली लखु विद्युत परियोजना 2000 F.R.A. Certificate (वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र) जारी करने की कृपा करें।

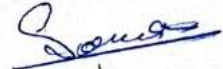


चौपाल, तशह, 18-10-15

अध्यक्ष

वन समिति तशह
ग्राम पंचायत चडौली

वन अधिकार समिति तरांह, ग्राम पंचायत चडौली

नाम	पद	हस्ताक्षर
1. सुरेश पुत्र श्री शेर सिंह	प्रधान	
2. संजीव पुत्र श्री सन्तराम	सचिव	
3. सालिगराम पुत्र श्री दुला राम	सदस्य	सालिगराम
4. लायक राम पुत्र श्री शंकर दास	सदस्य	लेखाराम
5. इन्द्रा देवी धर्मपत्नी श्री अरुण नान्टा	सदस्या	इन्द्रा
6. गुलाब सिंह पुत्र श्री कुंदीया	सदस्य	गुलाब
7. रेखा देवी धर्मपत्नी श्री गोविन्द	सदस्या	रेखा



ग्राम पंचायत चडौली
नाम: [Signature]
दिनांक: 18/08/16

[Signature]

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा.....

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....1.....

दिनांक 22-10-15

वन अधिकार समिति ग्राम सभा.....तराई राजव गांव की बैठक आज दिनांक 2-10-2015
को 11 बजे, स्थान तराई में श्री/श्रीमति उमेश कुमार
की अध्यक्षता में की गई जिसमें अनिल ठाकुर गांव के अनुसूचित जनजाति
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत तराई
जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें HMPP विभाग द्वारा तराई क्षेत्र में वन भूमि के
निर्माण के लिए 48-73 कटेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त
हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों
का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0

* पात्र गांव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का ब्यौरा

1.

2.

तराई

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी
सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0

* पात्र गांव वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार

ग्राम सभा

इस

दावे/इन

दावों

को

निरस्त

करने

की

सिफारिश

करती है।

अनिल ठाकुर को 48-73 कटेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान तराई/चौकी
दिनांक 2-10-2015

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....



Detail of Khassra No. Annex-1A

Detail of Khasara no. of Tranh:

S No.	Name of the Component	Mohal	Khasara No.	Area/Land Status of Forest Land	Classification of Land
1.	Water Conductor	Tranh	25/1	0-01-90	Charagah Drakthan
2.	DT/Feeder Channel	Tarnh	474/1	0-06-45	Charagah Drakthan
3.	Water Conductor	Tranh	488/1	0-01-87	Gair Mimkin Nala
4.	Water Conductor	Tranh	484/1	0-01-70	Charagah Billa Darkthan
5.	Water Conductor	Tranh	486/1	0-01-15	Charagah Billa Darkthan
6.	Water Conductor	Tranh	504/1	0-02-85	Charagah Drakthan
7.	Water Conductor	Tranh	505/1	0-05-80	Charagah Billa Darkthan
8.	Water Conductor	Tranh	573/1	0-09-05	Charagah Billa Darkthan
9.	Water Conductor	Tranh	582/1	0-00-35	Gair Mumkin Nala
10.	Water Conductor	Tranh	582/2	0-02-21	Gair Mumkin Nala
11.	Water Conductor	Tranh	591/1	0-11-00	Charagah Billa Darkthan
12.	Water Conductor	Tranh	591/1	0-04-40	Charagah Billa Darkthan

Total - 00-48-73

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा चड़ोली
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 22

दिनांक 2-10-2015

ग्राम सभा चड़ोली की बैठक आज दिनांक 2-10-15 को 11 बजे, स्थान ग्राम पंचायत मुख्यालय में श्री/श्रीमति सुरेंद्र सिंह देसाई की अध्यक्षता में की गई जिसमें वन क्षेत्र त्राई गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वाराह जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें HMPP विभाग द्वारा वाटे-वेस्टेन SHP-2MW के निर्माण के लिए 48-73 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का प्रकार
1.	<u>— null —</u>	<u>शोकर चड़ोली, दंडी मोर पार</u>	<u>अधिकारों को अनुसूचित जनजाति</u>
2.	<u>निर्माण के लिए प्रस्तावित</u>	<u>48-73 हेक्टेयर वन भूमि</u>	<u>अधिकारों को अनुसूचित जनजाति</u>

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं. * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.
2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार वाराह जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान चड़ोली

दिनांक 2-10-2015

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



वन अधिकार विभाग

नापाक शिमला 1200

14

368

Annexure-V

ग्राम सभा राजध्व गांव तराई ब्राह्मण चौली,
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा... वन अधिकार समिति तराई
विकास खण्ड... चौपाल जिला... शिमला (हि0प्र0)
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 2-10-2015

गणपूर्ति... 175/335

प्रस्ताव संख्या... 1

विषय: तराई चौली SHP 2MW निर्माण विभाग/संस्था को हाईड्रो मेर पावर प्रा. लि. कानपुर
सेवन न्यू बिजली के निर्माण हेतु तराई 8-48-73 है।
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित खु. म. 25/1-474/1-484/1-484/1 हैक्टेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु। 486/1-504/1-505/1-573/1-582/1-582/2-591/1-591/1

ग्राम सभा तराई की बैठक आज दिनांक 2-10-2015

को 11 बजे, स्थान चौली में
की गई, जिसमें हाईड्रो मेर पावर प्रा. लि. कानपुर विभाग/संस्था को तराई चौली SHP 2MW
के निर्माण हेतु तराई जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
00-48-73 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 00-48-73 हैक्टेयर वन भूमि को तराई चौली SHP 2MW

निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा तराई की सहमति दी जाती है।

स्थान चौली
दिनांक 2-10-2015

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....



ग्राम सभा राजध्व गांव तराई ब्राह्मण चौली

दिनांक 2-10-2015

वन अधिकार समिति चडोली

आज दिनांक 2-10-2015 को वन अधिकार समिति चडोली
ग्राम पंचायत चडोली की बैठक अध्यक्ष श्री मोहन सिंह की अध्यक्षता में
सम्पन्न हुई, इसके सभी सदस्य निम्नलिखित हैं:-

1. श्री मोहन सिंह अध्यक्ष
2. श्री राम लाल सचिव
3. श्री देवी राम सदस्य
4. श्री जल्लू राम सदस्य
5. श्री मोहन देवी सदस्य
6. श्री गमान राम सदस्य
7. श्री पुर्वी सदस्य
8. श्री बाना देवी सदस्य
9. श्री सदस्य
10. श्री सदस्य

उपरोक्त सभी सदस्य ने यह सुनिश्चित किया कि निम्नलिखित कार्य हेतु जहाँ लघु जल
विद्युत परियोजना का निर्माण होगा पर किसी प्रकार के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा
परम्परागत वन निवासियों का कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं पाया गया है।

अतः उपरोक्त समिति का उप-मण्डल अधिकारी (ना0) चौपाल, से अनुरोध है कि वह
(Team - chawal) Hydromine Power PVT F.R.A. Certificate (वन अधिकार
अधिनियम प्रमाण पत्र) जारी करने की कृपा करें।



ग्राम पंचायत चडोली
नामांक 12-000

अध्यक्ष

वन समिति चडोली

ग्राम पंचायत चडोली

ग्राम अधिकार समिति चडौली, ग्राम पंचायत चडौली

16

नाम	पद	हस्ताक्षर
1. मोहन सिंह पुत्र श्री दुला राम	प्रधान	25/1
2. राम लाल पुत्र श्री हुक्मी	सचिव	रामलाल
3. देवी राम पुत्र श्री भजनु	सदस्य	
4. बेली राम पुत्र श्री दौलत राम	सदस्य	
5. मोरतो देवी धर्मपत्नी श्री कुंदीया	सदस्या	
6. ग्यारू पुत्र श्री गथा	सदस्य	
7. प्रवीण पुत्र श्री देवी राम	सदस्य	
8. बानो देवी धर्मपत्नी श्री शेर सिंह	सदस्या	

मोहन सिंह
रामलाल
देवी राम
दौलत राम
मोरतो देवी
कुंदीया
ग्यारू
प्रवीण
बानो देवी



2000

ग्राम पंचायत, चडौली, दि. 20/08/00

वन अधिकार समिति
ग्राम समा... चंडाली...
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक: 2-10-2015

Detail of land Enclosure - ANN-1A

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा चडोली
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 22

दिनांक 2-10-2015

ग्राम सभा चडोली की बैठक आज दिनांक 2-10-15 को 11 बजे, स्थान चडोली में श्री/श्रीमति सुरेन्द्र सिंह दहसिक की अध्यक्षता में की गई जिसमें वन क्षेत्र चडोली गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत चडोली जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें HMPD विभाग द्वारा 12.5 चडोली S.H.P. 2m के निर्माण के लिए 1-60-10 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

1. गोप0-चडोली, Mydio mace Power Pvt LTD को विद्युत परियोजना
2. स्पादित करने के लिए प्रस्तावित शक्ति-1-60-10 हैक्टेयर आवेदन करने की कोशकाशी है।

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

- 1.
 - 2.
- तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से, प्राप्त सूचना के अनुसार चडोली जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान चडोली

दिनांक 2-10-15

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



100
जन्य प्रशासन संयोजक
जीपाक शिपल: 18-09-2015

(19) 368
5

Annexure-V

ग्राम सभा गाँव-चड़ोली व हठ कुपवा

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा चड़ोली-शांभू-चड़ोली
विकास खण्ड चौपाल जिला किताला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 2-10-2015

गणपूर्ति 185/338

प्रस्ताव संख्या 1

विषय: Teamh-Chauli SHP-2MW के निर्माण हेतु चड़ोली में 1-60-10 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1-60-10 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा चड़ोली की बैठक आज दिनांक 2-10-15 को 11 बजे स्थान चड़ोली में की गई जिसमें Hydroware Power Company विभाग/संस्था को Teamh-Chauli SHP-2MW के निर्माण हेतु चड़ोली जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1-60-10 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 1-60-10 हेक्टेयर वन भूमि को Teamh-Chauli SHP-2MW के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा चड़ोली की सहमति दी जाती है।

स्थान चड़ोली
दिनांक 2-10-2015

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा



Handwritten signature and official stamp of the Gram Sabha, Chauli, dated 2-10-2015.

(2)

वन अधिकार समिति डिमी

आज दिनांक 2-10-15 को वन अधिकार समिति डिमी
ग्राम पंचायत चडोली की बैठक अध्यक्ष श्री मस्त राम की अध्यक्षता में
सम्पन्न हुई, इसके सभी सदस्य निम्नलिखित हैं:-

1. श्री मस्त राम अध्यक्ष
2. श्री दीप सचिव
3. श्री राजेन्द्र सिंह सदस्य
4. श्री राम सिंह सदस्य
5. श्री दिनेश कुमार सदस्य
6. श्री श्री अशा देवी सदस्य
7. श्री श्री दीवा देवी सदस्य
8. श्री सदस्य
9. श्री सदस्य
10. श्री सदस्य

उपरोक्त सभी सदस्य ने यह सुनिश्चित किया कि निम्नलिखित कार्य हेतु जहाँ लक्ष्मण
विद्युत परियोजना का निर्माण हो रहा है पर किसी प्रकार के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा
परम्परागत वन निवासियों का कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं पाया गया है।

अतः उपरोक्त समिति का उप-मण्डल अधिकारी (ना0) चौपाल, से अनुरोध है कि वह
Hydro Mera Power Pvt Ltd Company को F.R.A. Certificate (वन अधिकार
अधिनियम प्रमाण पत्र) जारी करने की कृपा करें।



वन अधिकार समिति

चौपाल, रामन 12584

अध्यक्ष

वन समिति डिमी

ग्राम पंचायत चडोली

21¹²

वन अधिकार ग्राम पंचायत चडौली

चक-डिम्मी

क्रमांक	नाम	पद	हस्ताक्षर
1	श्री मस्त राम पुत्र श्री साध राम	अध्यक्ष	Mast Ram
2	श्री दलीप पुत्र श्री देवी राम	सचिव	दलीप
3	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत सिंह	सदस्य	Rajender Singh
4	श्री भीम सिंह पुत्र श्री सनिया	सदस्य	भीम सिंह
5	श्री दिनेश पुत्र श्री लायक राम	सदस्य	दिनेश
6	श्रीमति आशा देवी पत्नी श्री मीला राम	सदस्य	आशा देवी
7	श्रीमति दीवा देवी पत्नी श्री सुरेश	सदस्य	दीवा देवी



ग्राम पंचायत चक-डिम्मी
चौपाल, शिमला, 180004



ग्राम पंचायत चक-डिम्मी
चौपाल, शिमला, 180004

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा डिमी

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक 2-10-2015

वन अधिकार समिति ग्राम सभा डिमी की बैठक आज दिनांक 2-10-2015
को 11 बजे, स्थान चैदोली में श्री/श्रीमति मस्तुराम
की अध्यक्षता में की गई जिसमें गांव के अनुसूचित जनजाति
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत डिमी
जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें HMPD विभाग द्वारा Frank*chaoli के
निर्माण के लिए 0-18-79 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त
हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों
का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0

* पात्र गांव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का ब्यौरा

1.

2.

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी
सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0

* पात्र ग्राम वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश
करती है। अतः उपरोक्त प्रति 0-18-79 हैक्टेयर जंगल क्षेत्र में मस्तुराम के लिए
गोखर लण्ठेकारे, Mudo mee power BVA को संयोजित करके NOC (FRA)
जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान चैदोली डिमी

दिनांक 2-10-15

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
उपयोग की अनुमति दी जानी है



Set of Khareva No Enclosed
Anx-1A

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा चडोली
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 22

दिनांक 2-10-15

ग्राम सभा चडोली की बैठक आज दिनांक 2-10-15 को 11 बजे, स्थान चडोली में श्री/श्रीमति सुरेन्द्र सिंह दत्त की अध्यक्षता में की गई जिसमें शमान गोवर्धन गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत डिमा जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें MMPA विभाग द्वारा Team K. Chauli 2012 के निर्माण के लिए 0-13-79 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.		<u>डिमा</u>	
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	<u>...</u>
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार डिमा जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान चडोली

दिनांक 2-10-15

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



ग्राम सभा के अध्यक्ष
श्रीमान ...

24

368

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा..... हिमा शोण्ड चडौली
 विकास खण्ड..... चौपाल जिला..... शिमला (हि0प्र0)
 प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक... 2-12-15

गणपूर्ति... 170/335

प्रस्ताव संख्या... 1

विषय: Teamh Chauli SHP-2 MW Kupvi विभाग/संस्था को Hydromare Power Pvt
LTD के निर्माण हेतु 0-18-79 हेक्टेयर वन भूमि
 जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित स्वामिजी विकास लिमिटेड हेक्टेयर वन भूमि के
 उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा..... हिमा शोण्ड चडौली की बैठक आज दिनांक 21/10/15
 को 11 बजे, स्थान चडौली में
 की गई, जिसमें Hydromare Power Company विभाग/संस्था को Teamh Chauli SHP-2 MW
 के निर्माण हेतु हिमा जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
0-18-79 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-18-79 हेक्टेयर वन भूमि को Teamh Chauli
SHP-2 MW निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा हिमा की
 सहमति दी जाती है।

स्थान चडौली
 दिनांक 2-10-15

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
 ग्राम सभा.....



चौपाल, शिमला 18-10-15

(25)

वन अधिकार समिति

आज दिनांक 18/10/2015 को वन अधिकार समिति चक-हिडा
ग्राम पंचायत, गुड्डा-शिलाल की बैठक अध्यक्ष श्री सन्त राम की अध्यक्षता में
सम्पन्न हुई, इसके सभी सदस्य निम्नलिखित हैं:-

1. श्री सन्त राम अध्यक्ष
2. श्री दुला राम सचिव
3. श्री प्रताप सिंह सदस्य
4. श्री रमेश चन्द सदस्य
5. श्री सुरेश कुमार सदस्य
6. श्रीमती रेखा देवी सदस्य
7. श्रीमती रेवती देवी सदस्य
8. श्रीमती लकीना देवी सदस्य
9. श्रीमती कमला देवी सदस्य
10. श्री रूप सिंह सदस्य

उपरोक्त सभी सदस्य ने यह सुनिश्चित किया कि निम्नलिखित कार्य हेतु जहाँ लघु जल विद्युत
परियोजना का निर्माण होना है पर किसी प्रकार के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा
परम्परागत वन निवासियों का कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं पाया गया है।

अतः उपरोक्त समिति का उप-मण्डल अधिकारी (नॉ0) चौपाल, से अनुरोध है कि वह
जहाँ-चडोली लघु विद्युत परियोजना-2014 के निर्माण हेतु P.R.A. Certificate (वन अधिकार
अधिनियम प्रमाण पत्र) जारी करने की कृपा करें।



ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत गुड्डा-शिलाल
दिनांक 18/10/2015



अध्यक्ष

वन समिति

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत गुड्डा-शिलाल (अपनी)
दिनांक 18/10/2015

(26) 15

वन अधिकार ग्राम पंचायत जुड़ू-शिलाल

चक-हिड़ा

क्रमांक	नाम	पद	हस्ताक्षर
1	श्री सन्त राम पुत्र श्री भीन्दरु ग्राम हिड़ा डाक घर कुपवी तह0 कुपवी जिला शिमला हि0प्र0	अध्यक्ष	सन्त राम
2	श्री दुला राम पुत्र श्री कलिया ग्राम शलाह डाक घर कुपवी तह0 कुपवी जिला शिमला हि0प्र0	सचिव	[Signature]
3	श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री मोही राम ग्राम हिड़ा डाक घर कुपवी तह0 कुपवी जिला शिमला हि0प्र0	सदस्य	Pratap Singh
4	श्री रमेश चन्द पुत्र देवी राम श्री ग्राम पुजारली डाक घर कुपवी तह0 कुपवी जिला शिमला हि0प्र0	सदस्य	Ramesh Chandra
5	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री जीवन सिंह ग्राम हिड़ा डाक घर कुपवी तह0 कुपवी जिला शिमला हि0प्र0	सदस्य	Suresh Kumar
6	श्रीमति रेखा देवी पत्नी श्री अमर सिंह ग्राम शलाह डाक घर कुपवी तह0 कुपवी जिला शिमला हि0प्र0	सदस्य	रेखा देवी
7	श्रीमति रेवती देवी पत्नी श्री जालम सिंह ग्राम हिड़ा डाक घर कुपवी तह0 कुपवी जिला शिमला हि0प्र0	सदस्य	रेवती देवी
8	श्रीमति बबीता देवी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह ग्राम औखड़ी डाक घर कुपवी तह0 कुपवी जिला शिमला हि0प्र0	सदस्य	Babita Devi
9	श्रीमति कमला देवी पत्नी श्री गुलाब सिंह ग्राम शलाह डाक घर कुपवी तह0 कुपवी जिला शिमला हि0प्र0	सदस्य	Kamla Devi
10	श्री रूप सिंह पुत्र श्री मोही राम ग्राम भलावण डाक घर कुपवी तह0 कुपवी जिला शिमला हि0प्र0	सदस्य	Rup Singh



[Signature]
5/1/16
ग्राम पंचायत जुड़ू शिलाल
चक-हिड़ा, जिला शिमला, हि0प्र0

273

354

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा: चक-दिडा
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या: 1

दिनांक: 18/10/15

वन अधिकार समिति ग्राम सभा चक-दिडा की बैठक आज दिनांक 18/10/15 को 11:30 बजे, स्थान कूपवी में श्री/सन्त राम की अध्यक्षता में की गई जिसमें चक-दिडा राजारव गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत चक-दिडा जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें HMPPPL विभाग द्वारा लघु वन विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 00-58-06 कटेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.		चक-दिडा	
2.			

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं.	* पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	राजेश्वर जात चक-दिडा में कोई भी पञ्चायत अधिकारी अधिनियम के तहत मान्य नहीं हुआ है।		
2.	इस लिपि वन अधिकार समिति चक-दिडा (गांव पंच-दिडा-शिलन) तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है। उपरोक्त पत्र 00-58-06 कटेयर जंगल की संरक्षण में विद्युत संचालन के विद्युत सीडिक्ट लगाने वाले हाथों में पात्र नहीं है। कम्पनी को निर्माण हेतु स्थानान्तरण करने के लिए MoC (FRA) के तहत जारी करने के बिना प्रस्ताव सर्व समिति से पारित हुआ है।		

स्थान चक-दिडा
दिनांक 18/10/15

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

- * ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- ** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है



गुप्त

ग्राम पञ्चायत पुर्न विभाजन
विभाग, मण्डल विभाग, दि. 09/09/15

Handwritten signature

Details of Khuma No Enclosed ANX-1 A

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा जुड़-शिल्लन
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक 18/10/15

ग्राम सभा जुड़-शिल्लन की बैठक आज दिनांक 18/10/15 को 11:30 बजे, स्थान ग्राम पंचायत मुख्यालय में श्री/भूमि मुख्य शम नगराईक की अध्यक्षता में की गई जिसमें वन क्षेत्र चक-हिडा गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत चक-हिडा जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें HMPPL विभाग द्वारा चक-हिडा SHP 2 MW के निर्माण के लिए 00-58-00 पट्टे पर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

1. ग्राम पंचायत जुड़-शिल्लन हाईवे और पावर लाइन
2. कम्पनी को लघु जल विद्युत परियोजना निर्माण के लिए
प्रस्तावित 00-58-48 वन भूमि आवेदन करने की
भाषा करती है।

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करता है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

- 1.
 - 2.
- तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार चक-हिडा जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान कूपरी
दिनांक 18/10/15

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



ग्राम पंचायत जुड़-शिल्लन
विजय नगर शिल्लन, दिनांक

ग्राम सभा रजस्व गांव जुड़ शिमला

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा वन अधिकार समिति चुक-दिडा
विकास खण्ड चौपाल जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक.....

गणपूर्ति। 72/320

प्रस्ताव संख्या.....

विषय: तराई-चडौली लघु विद्युत परियोजना निर्माण
से. 2 न्यू शिमला के निर्माण हेतु चक-दिडा 50-58-46
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित खसरा नं. विवरण सन्निधान हैक्टयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा चक-दिडा ग्रा.पं. जुड़ शिमला की बैठक आज दिनांक
को 15/30 बजे, स्थान कूपी में
की गई, जिसमें तराई-चडौली सी.ली. विभाग/संस्था को तराई-चडौली 54P2MW
के निर्माण हेतु चक-दिडा जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
50-58-06 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने
के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर
सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से
यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी
प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 50-58-46 हैक्टयर वन भूमि को तराई-चडौली
54P2MW निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा चक-दिडा की
सहमति दी जाती है।

स्थान कूपी
दिनांक 15/10/15

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....



ग्राम सभा

ग्राम सभा रजस्व गांव जुड़ शिमला
वि.प्र. चौपाल शिमला, हि.प्र.0